

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.

क०/बोर्ड/प्रशासन/ 2019-20/463  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7.06.2019

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक,  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय ————— ।
2. कार्यपालन यंत्री,  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
तकनीकी संभाग————— ।

विषय:—भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट मुक्त करने के संबंध में।


संदर्भ:—अपर सचिव, म०प्र० शासन, सा.प्र.वि. के पृष्ठ क्र.एफ.11-13/2019/1/9  
भोपाल, दिनांक 04 जून, 2019

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ के तारतम्य में लेख है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट मुक्त करने के संबंध में संकल्प लिया गया है, उक्त संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। कार्यालय में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक कैंरी बैग्स, फुड पैकेजिंग, प्लास्टिक प्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/शेसे आदि तथा थर्मोकॉल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को प्रतिबंधित किया जाता है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु अपने अधीनस्थ मंडी समितियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।)

  
07/6/19


संयुक्त संचालक(प्रशासन)  
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 7.06.2019

क०/बोर्ड/प्रशासन/ 2019-20/464

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर संचालक, (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
07/6/19

संयुक्त संचालक(प्रशासन)  
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004


//आदेश//

भोपाल, दिनांक ५ जून, 2019

क्रमांक एफ 11-13/2019/1/9 :: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने का संकल्प लिया गया है। भारत सरकार द्वारा लिये गये संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जाता है। कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएँ, प्लास्टिक कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पूनस, पाउच/शेसे आदि तथा थर्मोकॉल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को प्रतिबंधित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(के.के. कातिया)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


पृष्ठ. क्रमांक एफ 11-13/2019/1/9

भोपाल, दिनांक ५ जून, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल।
9. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
10. अवर सचिव (अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
11. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (7-1) की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग